न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : सुश्री पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 19/21 GCMS id : 2021/77

रामेश्वर, पुत्र स्व. श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम कालियाखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रार्थी)

बनाम

1. प्रभूलाल
2. कालूलाल

पिसरान स्व. श्री भंवरलाल, जाति मीणा, निवासीगण ग्राम कालियाखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक : 30.09.2021

उपस्थिति : श्री विद्याशंकर गोस्वामी, श्री बनवारी लाल गौतम, अभिभाषक प्रार्थी
श्री रामरतन मीणा, अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1, 2

निर्णय

1- प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक एक प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत प्रदान करने अस्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि –

≈ ग्राम काल्याखेडी में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.02 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे प्रार्थी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित है तथा तीनो पक्षकारान बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। बाहमी बटवारा अनुसार उपरोक्त आराजी के 1/3 हिस्से जो डोबड़ा व काल्याखेड़ी के रास्ते से लगवां करीब 0.17 हैक्टेयर पर प्रार्थी काबिज काश्त है।

≈ उक्त आराजी को प्रार्थी ने काफी रकम खर्च करके काबिल काश्त बनाया है तथा काफी मेहनत की उक्त अब उपजाउ किस्म की हो जाने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के दिल मे बदयान्ती आ रही है और व ऐनकेन प्रकारेण उक्त हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने पर आमादा है जिसका कि उन्हे कोई अधिकार नहीं है।

≈ वादी एक कमजोर व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण एक ताकतवर व्यक्ति है तथा पैसे वाले है वादी उनका ताकत के बल पर सामना करने मे असमर्थ है। इस कारण प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायसालय मे प्रार्थना पत्र पेश करके उपरोक्त आराजी के संबंध प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर उन्हे पाबन्द करावे।

≈ प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी को उसके कब्जे शुदा आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। यदि ऐसा हो गया तो प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी तथा वाद करना ही बेकार हो जावेगा।

≈ प्रार्थी का केस प्राईमाफेसी है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे निहित है। तथा अपूर्णीय क्षति का बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष मे है।

≈ अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 151 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी मे से प्रार्थी के कब्जे हिस्से की आराजी ग्राम डोबड़ा व काल्याखेडी के रास्ते की 1/3 हिस्सा करीब 0.17 हैक्टेयर पर प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 जबरन कब्जा नही करे तथा ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक काश्त करने दे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधी से करावें।

≈ प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 पेश की गई।

3- अप्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र का जवाब में प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये विशेष कथन में निवेदन किया गया कि –

~ प्रार्थी माननीय न्यायालय में जो वाद लाया है वह तथ्यों को छिपाकर वाद लाया है। वादी एवं प्रतिवादी की पृथक आराजी ग्राम काल्याखेडी व डोबड़ा में स्थित है जिसका खसरा नम्बर वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्पूर्ण खसरा नम्बर जो वादी व प्रतिवादी के पिता भंवरलाल के खाते की पुश्तैनी आराजी है जिसका भी बंटवारा नहीं हुआ है।

~ प्रार्थी द्वारा प्रार्थी व प्रतिवादी को मौके पर काबिज बताया गया है, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

~ विवादित आराजी सहखातेदारी की है जिससे आराजी के प्रत्येक इंच पर सहखातेदारान का अपने अपने हिस्से तक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रतिवादी के सेपरेट खाते में दर्ज नहीं है। इससे सभी खातेदारान का कब्जा माना जावेगा। सामान्यतः सहखातेदार न तो बतौर खातेदार भूमि पर अतिक्रमी होता है और ना ही मात्र अकेले कब्जे का हकदार है।

~ कोई सहखातेदार किसी सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

Partha

4- प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी गई –

- प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम काल्याखेडी में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के संयुक्त खाते की आराजी स्थित है। बाहमी बंटवारा के अनुसार प्रार्थी डोबड़ा व काल्याखेड़ी के रास्ते से लगवां 1/3 हिस्से करीब 0.17 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 उक्त हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा करने व वादी को बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थी का केस प्राईमाफेसी है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे निहित है तथा अपूर्णीय क्षति का बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष मे है। अतः प्रार्थी के पक्ष मे प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा नही करे तथा ताकत के बल पर प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा प्रार्थी को शांति पूर्वक काश्त करने दे। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालय के गत निर्णय RRD Sept,2000 Page#412-414 की नजीर पेश की गई।
- अप्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी की ग्राम काल्याखेडी व डोबडा में स्थित पृथक आराजी का खसरा नम्बर वादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सम्पूर्ण पुश्तैनी आराजी का भी बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी सहखातेदारी की है जिससे आराजी के प्रत्येक इंच पर सहखातेदारान का अपने अपने हिस्से तक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व प्रतिवादी के सेपरेट खाते में दर्ज नहीं है। कोई सहखातेदार किसी सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है :–

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

उपरोक्त तीनो बिंदु व्यादेश चाहने वाले पक्षकार के पक्ष मे होना आवश्यक है। इनमे से किसी एक का भी आभाव होने पर न्यायालय व्यादेश नहीं देगा।

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात जिस मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे, यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्ट्या है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्ट्या

मामला बनता है। प्रस्तुत प्रकरण में हम पाते है कि प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी के विभाजन का वाद पेश किया गया है। इस वाद में समस्त सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादित आराजी के सभी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना वाद वादी पोषणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किये जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इस प्रकार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थायी निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का सन्तुलन अपने पक्ष में होना, बताना पडेगा। इसके लिये प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि वह ग्राम डोबडा व काल्याखेडी के रास्ते के निकट की 0.17 हैक्टर आराजी के अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी संयुक्त खाते की आराजी है जिसका विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में संयुक्त खाते की आराजी के प्रत्येक हिस्से पर सभी सहखातेदारान का समान कब्जा निहित होता है। विवादित आराजी पर समस्त सहखातेदारान का समान कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन केवल प्रार्थी के पक्ष में न होकर समस्त खातेदारान के पक्ष में है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पडे तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिये अपूरणीय क्षति होगा। प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त खाते की अविभाजित आराजी है। इस आराजी में प्रार्थी के लिये Particular खसरा निर्धारित नहीं है इसलिये किसी विशेष खसरा नम्बर के लिये प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

6- आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि

- प्रार्थी (वादी) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है। इसके साथ विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 पेश की गई है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के कुल किता 20 खसरा नम्बरान की आराजी 21 खातेदारान के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा केवल 4 खसरा नम्बरान का उल्लेख करते हुये तथा दो अन्य सहखातेदारान को अप्रार्थी बनाया जाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।
- उपरोक्त संयुक्त खाते की आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक खातेदार का समान अधिकार व समान कब्जा निहित होता है। प्रार्थी द्वारा केवल 04 खसरा नम्बरान का उल्लेख करते हुये तथा 02 अन्य सहखातेदारान को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 बनाया जाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। यह एक सर्वभौमिक ज्ञात सिद्धान्त है कि जिसकी आराजी को हम प्रभावित कर रहे है, उसे पक्षकार बनाये बिना कोई भी

Parth

दावा अग्रसर नहीं हो सकता है। विभाजन के प्रस्तुत वाद में जमाबन्दी के सभी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद वादी पोषणीय नहीं है।

➢ प्रकरण की संयुक्त खाते की अविभाजित आराजी के प्रार्थना पत्र 212 R.T.A. में समस्त सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने तथा जमाबन्दी के समस्त खसरा नम्बरान को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं है। सुविधा का सन्तुलन और अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैराल शुमार होकर संलग्न मूलवाद हो।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30 सितम्बर 2021 को मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Parth

(सुश्री पार्थवी)
सहायक कलक्टर,
(मुख्यालय), कोटा